

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक 503 / गोपनीय / 2018
दो-2-44 / 2011

जबलपुर, दिनांक 23 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि:- रजिस्ट्रार जनरल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायापीठ, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक NGT(PB)/16/Admn./2015/854-856, दिनांक 18.04.2018 की प्रति :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को इस रजिस्ट्री अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 337 / गोपनीय / 2018, दिनांक 22.03.2018 के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान न्यायापीठ, नई दिल्ली, फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली - 110 001 को उनके पत्र NGT(PB)/16/Admn./2015/854-856, दिनांक 18.04.2018 के संबंध में सूचनार्थ अग्रेषित।
3. श्री प्रेम कुमार सिन्हा, विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. (पी.ए.) एक्ट, नरसिंहपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया अपनी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपे जिससे कि वे नवीन पदस्थापना के स्थान, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जोनल बेंच, भोपाल, सूचना भवन, तृतीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल में तत्काल अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें तथा तत्संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपने संबंधी निर्देश दें जिससे कि वे नवीन पदस्थापना के स्थान पर तत्काल अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें तथा तत्संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें। साथ ही यह भी निवेदन है कि वे श्री प्रेम कुमार सिन्हा की अंतिम वेतन प्रमाणपत्र एवं सेवापुस्तिका संबंधित अधिकरण को यथाशीघ्र भेजे जाने संबंधी कार्यवाही करें।

टिप्पणी क्र.1 :- रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 464 / गोपनीय / 2018, दिनांक 13 अप्रैल, 2018, जहां तक इसका संबंध श्री प्रेम कुमार सिन्हा, विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. (पी.ए.) एक्ट, नरसिंहपुर का, नरसिंहपुर से चौबीसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के पद पर, स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

टिप्पणी क्र.2 :- श्री प्रेम कुमार सिन्हा, विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. (पी.ए.) एक्ट, नरसिंहपुर का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया है।

टिप्पणी क्र.3 :- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg.(I.T)(SA)/2018/368, दिनांक 01.03.2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. रजिस्ट्रार (आई0टी0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :-
 - (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर / जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0-1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्दौर - 452001 / जिला जज (निरीक्षण), 28 / बी, रसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म0प्र0) को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर / इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।


23.4.18

- (4) सदस्य सचिव / उप सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- (5) सदस्य सचिव, स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- (6) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता) / (न्यायिक) / (Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- (7) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary) / (जिला स्थापना) / (I.L.&I.L.R) / (न्यायिक-1) / (न्यायिक-2) / (सतर्कता) / (प्रशासन) / रजिस्ट्रार-सह-सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- (8) प्रभारी संचालक / अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
7. रजिस्ट्रार (ई0) / लेखा अधिकारी / बजट अधिकारी / ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल) / डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-1) / (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
8. रजिस्ट्रार-कम-माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
9. माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
10. माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर / इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
11. माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर / ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
12. रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
13. अनुभाग अधिकारी, पेन्शन / बजट / सहायक (कार्य) / शिकायत / वेतन निर्धारण (राजपत्रित) / अग्रिम / अवकाश (राजपत्रित) / सिविल चेकर / क्रिमिनल चेकर / लाइब्रेरी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।


(मो. फहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल

250
1283

National Green Tribunal/राष्ट्रीय हरित अधिकरण

Principal Bench/प्रधान न्यायपीठ

Faridkot House/Copernicus Marg/फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग,

New Delhi/नई दिल्ली-110001



No. NGT/PB/16/Admn./2015 | 854-856.

April / 18, 2018

To

The Registrar General,
High Court of Madhya Pradesh,
Jabalpur (M.P.)-482002

Sub.: Appointment of Sri Prem Kumar Sinha, Special Judge SC/ST (P.A) Act, Narsinghpur, to the post of Registrar in National Green Tribunal, Central Zone Bench at Bhopal, on deputation basis-reg.

Respected Sir,

This is in the reference to your letter No. 338/Confdl./2018-II-2-44/2011, dated 22.03.2018, wherein the name of Sh. Prem Kumar Sinha, Special Judge SC/ST (P.A) Act, Narsinghpur has been recommended for appointment to the post of Registrar, NGT, CZB, Bhopal.

2. This is to inform your goodself that on the recommendations of Selection Committee dated 16.04.2018 and with the approval of Competent Authority, Sh. Prem Kumar Sinha, Special Judge SC/ST (P.A) Act, Narsinghpur has been appointed as Registrar at the National Green Tribunal, Central Zone Bench at Bhopal on deputation basis, initially, for a period of one year w.e.f. date of joining, on the usual terms and conditions of deputation and as per the order of Hon'ble Supreme Court dated 29th November, 2013 passed in SLP (Civil) No. 12065/2009 in RE. Union of India Vs. Vimal Bhai & Ors. The pay, perks, allowances and privileges, as permissible to Sh. Prem Kumar Sinha, in his parent cadre, would be admissible to him in the National Green Tribunal, in addition to the usual deputation allowance.

3. It is humbly requested that Sh. Prem Kumar Sinha may kindly be relieved from his present post to enable him to join the National Green Tribunal, Central Zone at Bhopal, at the earliest, so that the work of Bhopal Bench may not disturb.

4. It is also requested that LPC alongwith Service Book and Leave record in respect of Sh. Prem Kumar Sinha may also be forwarded to the NGT, Principal Bench, New Delhi for further necessary action.

This issues with the approval of Competent Authority.

Regards

Yours faithfully,

(Mukesh Kumar Gupta)

Registrar General

19 APR 2018

Copy to:-

1. The Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Law & Legislative Affairs Department, Vindhyanchal Bhawan, Bhopal.
2. PPS to Hon'ble Acting Chairperson
3. PS to Ld. Registrar General
4. Ld. Deputy Registrar, NGT(PB)
5. Assistant Registrar, NGT, CZB, Bhopal.
6. The Accounts Section, NGT(PB).
7. Consultant (Admn.)
8. Office file(16, 517)
9. Personal file

9 APR 2018
REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT OF M.P.
JABALPUR

D.R. (Cambell)